v/;k; -V

ea=ky; ds vUrxZr lkoZtfud {ks= ds miØe

5.1 Hkkjr lapkj fuxe fyfeVsM (ch ,l ,u ,y) }kjk uSVodZ midj.kksa dh vfoosdiw.kZ [kjhn

fMftVy ØkWl duSDV flLVe midj.kksa dh [kjhn esa ch ,l ,u ,y dh vfoosdiw.kZ dk;Zokgh ds QyLo:i bUVjQsl dkMZ fuf"Ø; gq, vkSj nks ifj;kstuk ifje.Myksa esa ₹ 22.80 djksM+ dh iwath vo:} gqbZA

इंटरनेट प्रोटोकाल ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज (आई पी टैक्स) एक पैकेट आधारित नेटवर्क है जो दूरसंचार सेवाओं की सुविधायें प्रदान करता है और विविध ब्राडबैण्ड सेवाओं, क्यू ओ एस समर्थित ट्रान्सपोर्ट तकनीकियों का इस्तेमाल करने में सक्षम एवम् जिसमें सेवाओं से सम्बन्धित कार्य, मूलभूत ट्रान्सपोर्ट तकनीकियों से स्वतन्त्र है। यह विभिन्न सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को अप्रतिबंधित सेवा की पहुंच प्रदान करता है। यह सामान्य परिचालन का समर्थन करता है जो उपभोक्ताओं को सेवाओं का एकरूप एवम् सर्वव्यापक प्रावधान, प्रदान करेगा।

मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) ने आई पी टैक्स परियोजना के लिए निविदा आमन्त्रित (सितम्बर 2007) किया जिससे पब्लिक लैंड मोबाईल नेटवर्क (पी एल एम एन) से आने वाले टाईम-डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग[1] (टी डी एम) के 4,868 किलो सर्किट का समर्थन प्राप्त मीडिया गेट ट्रंक मीडिया गेटवे (टी एम जी) के विविध साफ्ट स्वीच डोमेन की स्थापना पर विचार किया गया था। आई पी टैक्स वर्तमान पीढ़ी नेटवर्क से आने वाली पीढ़ी नेटवर्क के विकास की ओर पहला कदम था अर्थात आई पी टैक्स वर्तमान लेवल–I टैक्स एक्सचेंज से आई पी आधारित नेटवर्क का प्रतिस्थापन था। आई पी टैक्स परियोजना के लिए क्रय आदेश (जनवरी 2009) जारी किया गया और क्रय आदेश दिये जाने के 12 सप्ताह के अन्दर उपकरणों की आपूर्ति एवम् स्थापना की जानी थी।

बी एस एन एल ने मैसर्स पृथ्वी इन्फार्मेशन सोल्यूशन लिमिटेड, हैदराबाद को ₹ 228.94 करोड़ की कुल लागत का ओ ई ओ आधारित डिज़िटल क्रास कनेक्ट सिस्टम (डी एक्स सी) उपकरण की खरीद एवम् आपूर्ति का क्रय आदेश (पी ओ) दिया (जून 2009)। डी एक्स सी, बी एस एन एल की विभिन्न सेवाओं जैसे कि मल्टी प्रोटाकाल लेबल स्वीचिंग (एम पी एल एस) नेटवर्क, ब्राड बैण्ड (बी बी) सेवायें, इन्टरनेट लीज्ड सर्किट, मोबाईल सेवायें इत्यादि के मुख्य आधार कड़ी की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। डी एक्स सी एक ऐसा सर्किट स्विच नेटवर्क उपकरण है जो दूरसंचार नेटवर्क के काम आता है तथा लगाये हुये संचार उपकरणों और नेटवर्को में बेहतर प्रबन्धशीलता, विश्वसनीयता एवम् चलाये रखने योग्य बनाता है।

डी एक्स सी उपकरणों के क्रय आदेश में सम्मिलित ₹ 31.86 करोड़ के 59,504 इन्टरफेस कार्ड को बी एस एन एल दक्षिणी संचार परियोजना (एस टी पी) और पश्चिमी संचार परियोजना (डब्ल्यू टी पी) को आपूर्ति किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि डी एक्स सी उपकरणों के

[1] टाईम-डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (टी डी एम) प्रसारण के स्वतन्त्र सिग्नल के प्रेषण और प्राप्ति की ऐसी प्रणाली है जिससे एक सामान्य सिग्नल के रास्ते से प्रसारण के प्रत्येक छोर पर सिन्क्रोनाइज्ड स्विचेज के द्वारा स्वतन्त्र सिग्नल के प्रेषण एवम् प्राप्ति हो ताकि प्रत्येक सिग्नल समय के सूक्ष्म अवधि में एकान्तर तरीके के रूप में दिखाई दे।

साथ एस टी पी को आपूर्ति किये गये ₹ 11.52 करोड़ के 28,044 इन्टरफेस कार्ड में से 24,590 कार्ड एवम् डब्ल्यू टी पी को आपूर्ति किये गये ₹ 11.28 करोड़ के 31,424 इन्टरफेस कार्ड में से 25,525 कार्ड मार्च 2015 तक अनुपयोगी ही रहे।

जैसा कि बी एस एन एल ने पहले ही जनवरी 2009 में आई पी टैक्स उपकरणों के क्रय आदेश दिये थे, जून 2009[2] में डी एक्स सी उपकरणों के क्रय आदेश जारी करने से पूर्व आई पी टैक्स के परियोजना कार्यालयों के सन्दर्भ में आपूर्ति एवम् कार्यान्वित करने के लिए डी एक्स सी उपकरणों की आवश्यकता का आंकलन करना चाहिये था। आवश्यकता का आंकलन न करने एवम् डी एक्स सी उपकरणों के क्रय आदेश सामान्य रूप से देने के कारण दो परियोजना परिमण्डलों में इन्टरफेस कार्डो की आपूर्ति अधिक होने के कारण ₹ 22.80 करोड़ की पूंजी अवरूद्व हो गयी।

एस टी पी ने उत्तर (फरवरी 2015) दिया कि बी एस एन एल कारपोरेट कार्यालय (सी ओ) ने डी एक्स सी उपकरणों की खरीद के लिए 2006 से ही योजना बनानी शुरू कर दी थी और जून 2009 में क्रय आदेश जारी किया गया था। विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक के महत्व एवम् विश्वसनीयता स्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सिन्क्रोनस ट्रांसपोर्ट माड्यूल लेवल-1 (एस टी एम-1) इन्टरफेस निर्धारित किया गया। किन्तु तकनीक के परिवर्तन के कारण एस टी एम-1 पोर्ट में भरण की बढोत्तरी नहीं हो पायी। टी डी एम से आई पी में परिवर्तन से बी एस एन एल अवगत था और इसीलिये गीगाबाईट इथरनेट (जी ई) लेबल पर पर्याप्त पोर्ट उपलब्ध करवाये गये। पुराने ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज (टैक्स) दूरभाष केन्द्रों से नये आई पी एक्सचेंज में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप जी ई इन्टरफेस का उपयोग बढ़ा एवम् एस टी एम-1 इन्टरफेस का भरण कम हुआ।

डब्ल्यू टी पी ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि विभिन्न प्रकार के इन्टरफेस कार्डों की प्राप्ति की मात्रा की योजना एवम् प्राप्ति, कारपोरेट कार्यालय द्वारा की गयी और डब्ल्यू टी पी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। पुनः यह भी कहा गया कि तकनीक में शीघ्र परिवर्तन के कारण इन्टरफेस पोर्ट की आवश्यकतायें भी परिवर्तित हो रही थी और डेन्स वेवलेन्थ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (डी डब्ल्यू डी एम) के कोर नेटवर्क में उच्च क्षमता को देखते हुए डी एक्स सी में एस टी एम-1 पोर्ट की आवश्यकता बहुत कम थी।

परियोजना परिमण्डल के उत्तर से स्पष्ट है कि बी एस एन एल कारपोरेट कार्यालय ने डी एक्स सी उपकरणों के क्रय आदेश जारी करते समय न तो संचार तकनीक में हो रहे तकनीकी परिवर्तन को और न ही परियोजना की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा। परिणामस्वरूप, इन्टरफेस कार्ड की खरीद में बी एस एन एल प्रबन्धन की अविवेकपूर्ण कार्यवाही, ₹ 22.80 करोड़ की पूंजी अवरूद्ध होने में फलित हुई।

[2] जबकि आई पी टैक्स साफ्ट स्विच बेस था, डी एक्स सी सर्किट स्विच नेटवर्क उपकरण था इसलिए आई पी टैक्स के साथ अनुकूल नहीं था।

5.2 'kkWVZ eSlst lfoZl VfeZus'ku izHkkj dh xSj&fcfyax

ch ,l ,u ,y us ,l ,e ,l VfeZus'ku pktZ dh fcfyax ds fy, fcuk rduhdh 0;oLFkk ds rhu nj lapkj lsok inkrkvksa ;Fkk Hkkjrh ,vjVsy, vkbfM;k lsyyj ,oa okMkQksu ds lkFk ,l ,e ,l ds vkbZ ;w lh ds fy, “,M.Mk Vw bUVjdusDV ,xzheUV” ij gLrk{kj fd;sA ,l ,e ,l MkVk dk lR;kiu ,oa Hkkjrh ,vjVsy rFkk okMkQksu ls izkIr fcyksa (nkoksa) ds feyku u djus ds dkj.k, ch ,l ,u ,y ,drjQk nkf;Ro ds fy, lkeus vk x;hA

ट्राई द्वारा इन्टरकनेक्ट यूसेज़ प्रभार (आई यू सी) के ढांचे की स्थापना दूरसंचार आई यू सी विनियम 2003 के माध्यम से जनवरी 2003 में की गई थी जो कि 1 मई 2003 से लागू हुई। उस समय, वॉयस सम्बंधी प्रभारों पर ध्यान दिया गया था तथा शॉर्ट मैसेज सर्विस (एस एम एस) टर्मिनेशन प्रभार को अलग रखा गया था। यद्यपि, जनवरी 2003 योजना के विनियम को समय-समय पर परिशोधित किया गया, एस एम एस के लिए आई यू सी पर अलग रखने की नीति को जारी रखा गया। दिनांक 9 मार्च 2009 के आई यू सी के विनियमों में ट्राई ने पुनः एस एम एस के लिए आई यू सी के मामले में अलग रखने की नीति को जारी रखने का निर्णय इस परंतुक के साथ लिया कि यदि कुछ एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार होते हैं, तो वे पारदर्शी, पारस्परिक तथा गैर–भेदभावपूर्ण होने चाहिए।

मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) के परिकलन के अनुसार, बी एस एन एल मौजूदा एस एम एस ट्रैफिक प्रवृत्ति के अनुसार ₹ 0.10 प्रति एस एम एस की दर से लगभग शुद्ध ₹ 3.79 करोड़ प्रति महीने का प्राप्तकर्ता था। उपर्युक्त परिकलन के आधार पर, बी एस एन एल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राईवेट संचालकों के साथ एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार के लिए ₹ 0.10 प्रति एस एम एस की दर से पारस्परिकता के आधार पर करार करने हेतु अनुमोदन (सितम्बर 2009) दिया गया।

बी एस एन एल ने मैसर्स भारती एयरटेल (फरवरी 2010), मैसर्स आइडिया (फरवरी 2010) तथा मैसर्स वोडाफोन के साथ (अप्रैल 2010) अनुशेष करार किया। यद्यपि शेष प्रचालकों को आई यू सी प्रभार के कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु करार हस्ताक्षरित करने का अनुरोध (नवम्बर 2010, दिसम्बर 2010, जनवरी 2011, जुलाई 2011 एवं जनवरी 2013) किया गया, प्रचालकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और इस प्रकार कोई करार नहीं हुआ।

अनुशेष करार की धारा 6.7.1 के अनुसार, प्रचालक एक ही सेवा क्षेत्र में बी एस एन एल के नेटवर्क में एस एम एस के टर्मिनेशन के लिए बी एस एन एल को ₹ 0.10 का इन्टरकनेक्ट यूसेज प्रभार (आई यू सी) प्रति एस एम एस अदा करेंगे। पारस्परिक आधार पर बी एस एन एल भी सेलुलर मोबाइल टेलीकाम सर्विस (सी एम टी एस) को उनके नेटवर्क में अपने एस एम एस के टर्मिनेशन के लिए, प्रति एस एम एस ₹ 0.10 का आई यू सी प्रभार अदा करेगा।

बी एस एन एल ने एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार के बाबत अप्रैल 2011 से अगस्त 2012 की अवधि के लिए मैसर्स भारती एअरटेल से ₹ 14.60 करोड़ एवं अप्रैल 2011 से सितम्बर 2012 की अवधि के लिए मैसर्स वोडाफोन से ₹ 9.70 करोड़ का दावा प्राप्त किया। ये दावे बी एस

एन एल द्वारा किये गये परिकलनों से व्यापक रूप से भिन्न थे, जिसके अनुसार बी एस एन एल को प्रचालकों से राशि प्राप्त होनी थी। इन बिलों/दावों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

बी एस एन एल कॉर्पोरेट ऑफिस ने वर्ष 2010 के दौरान मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स आइडिया तथा मैसर्स वोडाफोन के साथ किए गए शॉर्ट मैसेज सर्विसेस (एस एम एस) टर्मिनेशन अनुशेष करारों के कार्यान्वयन के लिए अनुदेश जारी किए (जून 2013)। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ ये प्रावधान थे कि:

- अनुशेष करार की धारा 6.7.1 के अनुसार सभी प्रचालकों को, जिसमें मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स आइडिया तथा मैसर्स वोडाफोन शामिल हैं, एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार के लिए ₹ 0.10 पैसे प्रति एस एम एस की दर से बिल दिए जाएंगे;
- उपर्युक्त तीन प्रचालकों के साथ किए गए अनुशेष करारों को 16 दिसम्बर 2012 से 31 मई 2013 तक प्रभाव में लाना था। उसके बाद 1 जून 2013 से एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार की वसूली शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेस टर्मिनेशन प्रभार विनियम, 2013 के अनुसार की जानी थी।
- अन्य सभी प्रचालकों को एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार के बिल 1 अप्रैल 2011 से 31 मई 2013 तक की अवधि के लिए दिए जाने थे।

वोडाफोन ने आरोप लगाया (जनवरी 2014) कि बी एस एन एल ने अलग-अलग समूह के प्रचालकों के साथ अलग-अलग भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया तथा बी एस एन एल ने इस मुद्दे की जाँच एवं समाधान हेतु सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया (जून 2014)। समिति ने पाया (अक्तूबर 2014) कि 1 अप्रैल 2011 से 31 मई 2013 तक की अवधि का एस एम एस का काल डिटेल रिकार्ड (सी डी आर) डाटा बी एस एन एल के पास उपलब्ध नहीं था तथा डाटा के अभाव में विकल्पों पर चर्चा करने के लिए अनुशेष करारों पर हस्ताक्षर करने वाले तीन प्रचालकों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया। मार्च 2015 में समिति द्वारा की गयी निम्नलिखित सिफारिशों को मई 2015 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया:

- अनुशेष करार पर हस्ताक्षर न करने वाले सभी प्रचालकों को बिल जारी करने के निर्णय को वापस लिया जाए;
- तीन प्रचालकों के साथ हस्ताक्षरित किए गए अनुशेष करार को 16 दिसम्बर 2012 से लागू करने के निर्णय को वापस लिया जाए;
- न तो बी एस एन एल बिलों को जारी करेगा और न ही प्राइवेट संचालकों द्वारा जारी किये गये या जारी किये जाने वाले बिलों पर विचार करेगा;
- समिति ने तीनों प्रचालकों को यह सूचित करने के लिए सिफारिश की, कि बी एस एन एल अनुशेष करार को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि बाकी प्रचालकों ने न तो अनुशेष करारों पर हस्ताक्षर किया है, न ही बी एस एन एल पर कोई बिल जारी किया है।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, बी एस एन एल ने तीन प्रचालकों को अनुशेष करार को कार्यान्वित न करने के अपने निर्णय के सम्बंध में सूचित किया। इस निर्णय से खिन्न होकर, एयरटेल तथा वोडाफोन ने माननीय दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपील अधिकरण (टी डी एस ए टी) के सम्मुख बी एस एन एल पर एस एम एस टर्मिनेशन प्रभार की गैर अदायगी का आरोप लगाते हुए अपील दायर की।

माननीय टी डी एस ए टी ने याचिकाकर्ताओं (मैसर्स वोडाफोन तथा मैसर्स भारती एयरटेल) को 16 दिसम्बर 2012 से 31 मई 2013 तक की अवधि के लिए, बी एस एन एल को आवश्यक ब्यौरे, जिसमें एस एम एस डाटा (प्रोमोशनल तथा गैर प्रोमोशनल) का द्विभाजन भी शामिल था, मुहैया कराने के निर्देश दिए तथा बी एस एन एल को इन ब्यौरों की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर डाटा के मिलान को पूरा करने का निर्देश (मार्च 2016) दिया। मिलान के आधार पर, प्राप्त देय राशि का भुगतान चार सप्ताह की अवधि के अन्दर किया जाना था। भारती एअरटेल और वोडाफोन से ये ब्यौरे बी एस एन एल को प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2016)।

यह देखा गया कि बी एस एन एल ने एस एम एस के सी डी आर डाटा को नहीं रखा और इस कारण से एअरटेल और वोडाफोन के दावे का विरोध करने के लिए कोई साधन नहीं था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि:

- 1 अप्रैल 2011 से 31 मई 2013 तक की अवधि के लिए बी एस एन एल में एस एम एस का सी डी आर डाटा उपलब्ध नहीं था तथा प्राइवेट प्रचालकों द्वारा जारी किये गए बिलों का बी एस एन एल द्वारा मिलान नहीं किया जा सका;
- अनुशेष करार का कार्यान्वयन साध्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इन तीन प्रचालकों के अलावा कोई प्रचालक अनुशेष करार हस्ताक्षरित करने लिए सामने नहीं आया, न ही इन्होंने वसूली के लिए बी एस एन एल पर बिलों को जारी करने में कोई रुचि दिखाई; और
- समय-समय पर बी एस एन एल, विनियामक तथा प्राईवेट प्रचालकों द्वारा सम्प्रेषित भिन्न एवं विविध निर्णयों के कारण, मामला जटिल हो गया तथा ट्राई के निर्देर्शों के अनुरुप बी एस एन एल ने एक गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया।

उत्तर यह पुष्टि करता है कि यद्यपि बी एस एन एल ने तीन प्रचालकों के साथ करार किए थे उस पर ट्राई के निर्देशों के अनुरूप पालन करना आवश्यक था, क्योंकि ये पारदर्शी, पारस्परिक एवं गैर-भेदभावपूर्ण थे, भारती एअरटेल एवं वोडाफोन से प्राप्त बिलों (दावों) के सत्यापन एवं मिलान न होने के कारण टी डी एस ए टी के निर्णय के परिपेक्ष में बी एस एन एल एकतरफा दायित्व के लिए सामने आ गयी।

5.3 eYVh ikVkdky yoy fLofpx (,e ih ,y ,l) fyd d fcfyx e njh

> nf{k.kh nj lpkj {k= (,l Vh vkj), ch ,l ,u ,y u ,e ,p vkj Mh dk, ,e ih ,y ,l l u'kuy ukyt uVod (,u d ,u) lokbV vkQ iztl (ih vk ih) rd inku fd; x; 1th ch ih ,l b fyd dk fcy tkjh ugh fd;kA blds dkj.k **₹ 6.07** djkM d cdk; dk lp;u gvkA

नेशनल मिशन आन इजुकेशन थ्रू इन्फोरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी (एन एम ई आई सी टी) के अधीन आने वाले संस्थानों–विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दोनों के लिए पूरे देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम एच आर डी) की कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट सम्बन्ध विकसित करने के उददेश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर (2013) हुआ। प्रस्तावित सम्बन्ध का उददेश्य बी एस एन एल को, एम एच आर डी को एन एम ई आई सी टी के अधीन 419 विश्वविद्यालयों और 32,000 महाविद्यालयों की कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने जिसमें इन संस्थानों को समाधान सहित कनेक्टिविटी प्रदान करने, जो उनको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी पी एन) पर कनेक्ट करने के लिए सक्षम बनाने, इंटरनेट की पहुंच प्राप्त करने तथा नेटवर्क में किसी भी सर्वर से शैक्षिणिक सामग्री को भी डाउनलोड/अपलोड करना सम्मिलित था, के लिए सहायता करना था।

एम ओ यू की वित्तीय इकरारनामें में अन्य बातों के साथ साथ, 1जी बी पी एस मल्टी प्रोटोकोल लेबल स्विचिंग (एम पी एल एस) “बेस्ट इफर्ट लिंक” के माध्यम से नेशनल नालेज नेटवर्क (एन के एन) के साथ इन्टरकनेक्टिविटी के लिए ₹ 2 करोड़ प्रति वर्ष, शुल्क निर्धारित किया गया और बी एस एन एल को, हिस्सेदारी धारक होने से, कीमत का 10 प्रतिशत वहन करना था। यह वार्षिक दरों के 90 प्रतिशत के लिए बिल बनाने से कार्यान्वित होना था और 10 प्रतिशत ट्रेड डिस्काउंट के रूप में दिया जाना था। चयनित स्थानों[3] पर लिंक की वार्षिक दरों की बिलिंग प्राधिकारी, बी एस एन एल के सम्बन्धित अनुरक्षण क्षेत्र और कलेक्शन प्राधिकारी, ब्राड बैण्ड नेटवर्क (बी बी एन) परिमण्डल थे। एम एच आर डी के लिए बिलिंग, वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष दिसम्बर की पहली तारीख को करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2015) कि दक्षिणी दूरसंचार क्षेत्र (एस टी आर) ने हैदराबाद में एम पी एल एस से एन के एन पी ओ पी तक प्रदान किये गये 1जी बी पी एस ई लिंक के लिए दिसम्बर 2012 से नवम्बर 2015 की अवधि के लिए बिल जारी नहीं किये थे।

एस टी आर ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर (जुलाई 2015) में कहा कि हैदराबाद में एम पी एल एस से एन के एन तक प्रदान किये गये 1जी बी पी एस ई लिंक की बिलिंग नहीं हुई थी और अब (मई 2015) ₹ 6.07 करोड़ का बिल जारी किया जा चुका है।

---

[3] एन के एन को, जो हैदराबाद में है, कनेक्टिविटी के लिए केवल एक 1जी बी पी एस एम पी एल एस लिंक प्रदान किया गया।

बिलिंग शैडयूल के अनुसार बिल जारी न किया जाना कमजोर आन्तरिक नियंत्रण को दर्शाता है जिसके कारण राशि की वसूली में देरी होने के साथ बिल न की गई राशि पर ब्याज का नुकसान हुआ।

यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी गम्भीर वित्तीय संकट से गुजर रही है और कई वर्षों से नुकसान उठा रही थी। एसे परिदृश्य में कर्मचारियों को अधिक सतर्क होना चाहिए ताकि कोई सेवा बिना बिल के न रह जाय। अप्रैल 2016 तक वसूली नहीं हुई थी।

नई दिल्ली
दिनांक : 09 सितम्बर 2016

(पी के तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(डाक व दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 16 सितम्बर 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक